SHRI KAMAL NATH: Sir, in the package for orthodox tea which was announced, the applications received from Assam have been 196 for a subsidy claim of about Rs. 375 lakhs. The largest number we received was from Assam, that is, 196. To give you an indication, West Bengal had 28 and Darjeeling had 95 applications. And, 136 out of 196 applications from Assam have been processed. So, that is that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next Question.

दक्षिण भारत में आतंकवादी गतिविधियां

*142 **श्री रूद्रनारायण पाणि†† :**
श्री रवि शंकर प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण भारत में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में आतंकवादियों को विदेशों से मिलने वाली सहायता को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री : श्री शिवराज वी॰ पाटिल : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2005 में आतंकवाद की दो घटनायें, एक आन्ध्र प्रदेश में और दूसरी कर्नाटक में हुई थीं।

(ग) सरकार ने आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करके आसूचना तंत्र को चुस्त बना कर, केन्द्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के बीच गहन पारस्परिक क्रिया, समन्वित कार्रवाई द्वारा उग्रवादियों और राज्य विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करके, उन्नत अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन आदि करके बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। केन्द्र सरकार भी खतरे की आशंका और आतंकवादी संगठनों की

†सभा में यह प्रश्न श्री रूद्रनारायण पाणि द्वारा पूछा गया।

गतिविधियों के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। इसके अलावा, आतंकवाद के विश्वव्यापी आयाम को देखते हुए इसके खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय/बहु-पक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक तंत्र मौजूद हैं।

(घ) सरकार ने तटीय गश्त और चौकसी को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल में तटीय सुरक्षा योजना का अनुमोदन किया है ताकि समुद्री मार्ग से आतंकवाद या अवैध गतिविधियों को पहले से ही रोका और नियंत्रित किया जा सके।

Terrorist Activities in South India

†*142. SHRI RUDRA NARAYAN PANY:††
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that terrorist activities are on the rise in South India;

(b) if so, the details thereof and the reasons for the same;

(c) if so, the measures taken to stop the same; and

(d) the efforts being made to block any external assistance to the terrorists in the Western coastal areas?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per available information, in 2005, there were two terrorist incidents, one in Andhra Pradesh and the other in Karnataka.

(c) The Government has adopted a multi-pronged approach for tackling the activities of terrorist organizations by strengthening the border management to check illegal cross border activities, gearing up the intelligence machinery, close interaction between different agencies of the Centre and the States, neutralizing plans of militants and anti-national elements by coordinated action, modernization and upgradation of police and security forces with advanced sophisticated weapons and

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rudra Narayan Pani.

communication system etc. The Central Government has also been sensitizing the State Governments about the threat perception and activities of terrorist organizations from time to time. Besides, necessary mechanisms are in place to achieve bilateral/multi-lateral cooperation to deal with the menace of terrorism, given its global dimensions.

(d) The Government has recently approved the Coastal Security Scheme to strengthen coastal patrolling and surveillance so as to pre-empt and control terrorist or illegal activities through the sea route.

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति जी, और कुछ हो न हो, हमारे गृह मंत्री जी ज्ञानी हैं। महोदय, हमारे गृह मंत्री जी ज्ञानी हैं ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: आप पूछिए ना ...(**व्यवधान**)

श्री रुद्रनारायण पाणि: पूछूंगा।

श्री उपसभापति: आप पहले सवाल पूछिए, बाद में तारीफ कीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, हम जब कॉलेज में थे ...(**व्यवधान**)

श्री विक्रम वर्मा: ये पानी हैं और वे ज्ञानी हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, हम जब कॉलेज में थे ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: अब वह कॉलेज की बात छोड़िए, आप सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: हम जब कॉलेज में थे, तो हमारे गृह मंत्री साइंस मिनिस्टर थे।* से आज वे गृह मंत्री हैं ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: यह नहीं जाएगा ...(**व्यवधान**) I have removed it. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: आज बंगलौर में साइंटिस्ट को मारा जाता है ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए ना ...(**व्यवधान**)

श्री रुद्रनारायण पाणि: आज दुर्भाग्य से साइंटिस्ट को मारा जाता है। यह अत्यंत मार्मिक विषय है, इसको हंसी-मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह अत्यंत मार्मिक विषय है कि साइंटिस्ट को मारा जाता है। साइंटिस्ट को मारने का क्या कारण है, मंत्री जी ने इसका उत्तर विस्तार से दिया है, लेकिन वे इसकी प्रिंटिंग को नहीं देखते हैं। हिन्दी में जो उत्तर दिया गया है, उसकी प्रिंटिंग ठीक से नहीं हुई है। यह मामला कोई कम गंभीर नहीं है। हम पढ़ नहीं पाते हैं।

*Not Recorded.

श्री उपसभापति: हम इसे देखेंगे।

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति जी, मेरा यह कहना है कि जो-जो कारण मंत्री जी ने बताए हैं और कहा है कि हम ये-ये करने जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से जो insurgency और terrorism होता है, इसके कारणों का अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तमिलनाडु में एक प्रकार का terrorism होता है, आंध्र में एक प्रकार का terrorism होता है ...(व्यवधान) जरा गृह मंत्री जी इसके कारणों के बारे में विस्तार से बताएं।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, जो साइंस इंस्टीट्यूशन पर हमला हुआ, वह क्यों हुआ, यह सम्माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। हमने पहले ही इस सदन में और बाहर भी बताया था कि जो लोग यहां पर हादसे करवाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि यहां की जो नयी इंडस्ट्री है या यहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या यहां के जो खास establishments हैं, उनके ऊपर हमला करें, ताकि यह जो डर फैलाने का काम है, उसमें वे आसानी से आगे बढ़ सकें। इसलिए ये मालूमात स्टेट गवर्नमेंट को हमारी तरफ से दी गई है। सम्माननीय सदस्य की मालूमात के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक law and order maintain करने के काम में यहां से दखलंदाजी नहीं की जा सकती है। हम केवल मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पुलिस को वहां ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं। यहां की पुलिस को भेजकर, यह करो, ऐसा हम नहीं कह सकते। सम्माननीय सदस्य अगर इस बात को ध्यान में रख लें, तो बाकी सारे प्रश्नों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि साइंस इंस्टीट्यूशन में जो हादसा हुआ, हादसा होने के बाद हमने उनको कहा कि आपको अगर पुलिस की मदद की जरूरत है, तो हम देने के लिए तैयार हैं। हादसा होने के बाद भी, उन्होंने कहा कि हम पुलिस को अपने कैंपस में नहीं आने देंगे, हम अपनी तरफ से ही इंतजाम करेंगे और उनकी जो सिक्योरिटी है, उन्होंने 50-60 आदमियों को रखकर बनाई हुई थी और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से ली थी। सरकार की तरफ से जब उनको पूछा गया, तो उन्होंने सरकार की मदद लेने से इंकार कर दिया है। इन बातों को नज़रअंदाज़ करके जो लोग बाहर डर फैलाने का काम कर रहे हैं, वही काम हम भी ऐसे प्रश्न पूछकर करें कि डर की मात्रा बढ़ जाए, तो वह हमारे देश के हित में नहीं है।

SHRI BALAVANT *ALIAS* BAL APTE: Is it the way to answer? ...*(Interruptions)*... यह क्या जवाब है?

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, माननीय गृह मंत्री जी को यह भूलना नहीं चाहिए कि वे जिस आसन पर आसीन हैं, उस पर सरदार वल्लभभाई पटेल आसीन होते थे।

श्री उपसभापति: आप सवाल कीजिए। यह भाषण नहीं हो रहा है पाणि जी, आप सवाल कीजिए ...(**व्यवधान**)

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैं सवाल पर आता हूं।

श्री उपसभापति: आप सवाल पर आइए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, चाय के ऊपर एक सवाल पर आप 26 मिनट ले लेते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए। यहां पर 15 मैम्बर्स सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, आप सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, वे संसद के प्रभावी सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री उपसभापति: देखिए, अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो ...(**व्यवधान**)... अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, तो बोल दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मैं सवाल पर आता हूं।

श्री उपसभापति: आप सवाल पर आइए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, इतने प्रभावी आसन पर बैठे हुए मंत्री जी अगर यह कहेंगे कि हमारी पुलिस, तुम्हारी पुलिस, तो यह गलत बात है। महोदय, गृह मंत्री देश की सारी पुलिस ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप सवाल पूछते हैं या नहीं ...(**व्यवधान**)... आप सवाल पूछिए ...(**व्यवधान**)... I request the hon. Members' co-operation. I don't want in the Question Hour ...*(Interruptions)*... Please, allow the Chair to regulate ...*(Interruptions)*...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: जिस तरह से मंत्री जी ने जवाब दिया ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, I request you to allow the Chair to regulate ...*(Interruptions)*... Please, allow the Chair to regulate ...*(Interruptions)*... मि॰ पाणि, अगर आप क्वैश्चन नहीं पूछना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: नहीं, नहीं। सर, मैं प्रश्न पर आता हूं।

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप ...(व्यवधान)... Why do you intervene? The Chair will do its duty. Please, allow me to do it. आप बोलिए ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मेरा एक निवेदन है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप सदस्यों का रक्षण करेंगे। आपसे यह आशा नहीं की जाती कि आप केवल मंत्रियों का रक्षण करेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सदस्यों का रक्षण करें।

श्री उपसभापति: देखिए, आप चेयर की मुश्किल को भी पहचानिए। यहां पर 20-25 मैम्बर्स इस सवाल पर जवाब चाहते हैं। मुझे सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर एक मैम्बर ही पूरी अपॉर्चुनिटी ले ले, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। If the entire House decides that there will be no more supplementary, I will allow ... *(Interruptions)*... इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सवाल पूछिए, आप दूसरों का टाइम जाया मत कीजिए। प्लीज़ सवाल पूछिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: एकाध मिनट ऐसा होता है, उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं भी यह बात समझता हूं कि एक-दो मिनट ऐसा होता है, लेकिन आप कहीं जाएंगे, आप उनकी बातों पर गौर करके मुझे जवाब दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, आप सब बड़े-बड़े लोग हैं। बीच में सब लोग बोले। मान्यवर मेरा निर्दिष्ट प्रश्न यह है कि राजनीति से ऊपर उठ कर गृह मंत्री महोदय उन राज्यों में कितनी बार बैठक कर रहे हैं, जहां पर केन्द्र के राजनीति[illegible] दर्शन के अलावा दूसरी राजनीतिक दर्शन की पार्टी सरकार में है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, उन्होंने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जहां तक व्यक्तिगत रूप में मेरा प्रश्न है, शायद उसको एलाऊ नहीं किया जाए, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को बुला कर प्रधानमंत्री जी के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ कर चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, हर प्रान्त में, हर रिजन में जो रिजनल कंफेरेंसेज़ होती हैं, वहां पर मुख्यमंत्रियों को बुला कर उसके ऊपर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, वहां पर खुद जाकर मैंने उन लोगों से

चर्चा भी की हुई है। जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं, तो हम उनको जाकर यह बता देते हैं और उनके साथ चर्चा हो जाती है। हम यह नहीं देखते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कुछ हो गया, तो वहां पर एक दूसरे प्रान्त की सरकार है। उसके लिए यहां आकर सदन में कह दें कि तुमने गलती की, तुमने यह किया, तुमने वह किया, हमने मालूमात दी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम इस प्रकार से काम नहीं करते हैं। अगर यहां पर इस प्रकार से काम हो रहा है... तो जिस प्रांत में ये घटनाएं हो रही हैं, उस प्रांत की सरकार को पहले जवाब देना पड़ेगा और दूसरी जगह पर इस राष्ट्र की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यह नहीं समझते हुए पॉलिटिक्स करने के लिए पार्टी के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ अगर आप प्रश्न पूछते जाएंगे और उस का उत्तर देने के लिए सीनियर मेंबर भी उठकर उस की वकालत करेंगे तो वह कहां तक दुरुस्त होगा? यह आप ठहराव कीजिए और आप जैसा ठहराव करेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं।

श्री उपसभापति: श्री रवि शंकर प्रसाद।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Deputy Chairman, Sir, hon. the Hone Minister would appreciate that this question reflects not only the concern of one Member or two Members but of the entire House and the nation. South India is not only an example of our technological excellence--Hyderabad, Bangalore or Chennai--it is also home to our space research; it is also home to our missile research and, therefore, if the pangs of terrorism are spreading in South India, it is matter of national concern, and hon. the Home Minister I am sorry, I am afraid that we cannot leave it to the ego of a particular Director who insists upon private security guards. It is the collective concern of the State Government and also the Government of India. That is very important. Therefore, I regret my inability to appreciate your observations only because private security guards have been insisted upon. We should take that fact into account. There is a need to sensitise the institution and the whole range of activities. In this light, hon. Home Minister, Sir, my queries are two-fold. (a) How many front organisations of terrorist outfits are operating in South India? Have you identified them, and what actions are you taking? Secondly, I see from the reply that one of the points of concern is proper cross-border management so that illegal infiltration is not there. It is a good reply, hon. the Home Minister. In this light, the (b) part of my query is: How do you explain the recent amendment in the Foreigner's Act whereby you have practically made impossible the identification of infiltrators from outside because of Notification in the light of the Supreme Court order on the IMDT? These are my queries.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is a good question and it is a pleasure to reply to a question of this nature. It is a fact that the infiltrators were coming to India and they were active in the bordering regions. But, now they have decided to spread to all parts of the country and attacked those installations which have national importance and that is why we shall have to pay attention to these things. Fortunately, for us in the southern India this kind of activity was not so visible up to this time, but even in Coimbatore when the previous Government was there, there also the attack had taken place. Now, since long, they have been trying to contact the people who can be used for these kinds of activities in the southern States also. So, what we have done, Sir, is to see that the detective agencies, the CID, the intelligence collecting agencies of the State Governments are strengthened. We have asked them to remain in contact with each other. Agency of one State shall be in contact with the agency of other States also. From here also, we are supplying information to these installations and to the Governments also in order to protect important places Sir, the educational institutions, especially the university and scientific institutions do not want to see the police on the campus and whenever the question arises whether the police should be sent to the campus or not, they have been resisting. We have been trying to persuade them that in the changed circumstances, whenever it is necessary, we can provide them the protection and they should obtain that protection and make use of that protection. But there is resistance. There is a resistance even after the incidents have taken place. In this institution when the discussion took place after the incident, there was reluctance to accept. We do have the arrangement here. The CISF is being used to provide safety and protection to these installations like Space Research, Atomic Energy, scientific institutions, IT industry and other places also. We are in a position to give them the help from here but that has to be done through the State Government. The main thing which has to be, in very clear terms, understood is that from here, we cannot directly interfere. We shall have to go through the State Government and if we try to do that, then, they would say that look, in the federal system, this cannot be done as per the Constitutional provisions, it is only the State Police which can do it and why are you doing it. And, that is why, we are not blaming them. We understand their difficulty. Whatever may happen in the States which are ruled by the parties which are in power at the national level; we are not letting them down; we are not criticising them. What happened yesterday, we have not come out with criticism against them.

We are trying to understand them. This is a joint effort which has to be done and I am requesting this House that we together have to deal with this problem-the Union Government, the State Government, people at large sitting here, because you have an opportunity to ask questions. If you ask any questions which create probiems rather than solving the problem and then you get up and say and they are not allowing us to ask the questions, that is not right. Who is saying that you should not ask the question? I am ready to reply to any question, but let the questions be such that they will help.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: There were two more queries that I raised-how many front organisaitons of terrorist outfits are operating in South India, what action has been taken, and amendment in the Foreigners' Act. These have been left unanswered.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This Foreigners' Act is not relevant in the South; it is relevant in other places....(*Interruptions*).

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Your notificaiton is relevant.

श्री उपसभापति: आप उनको जवाब देने दीजिए न ...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, Foreigners' Act, as far as otehr States are concerned, remains unchanged. Please, understand the Act is not different; the Rules are not different; the Act is the same; the Rules are the same in all othr States except in some States....(*Interruptions*)

SHRI BALBIR K. PUNJ: But, why has it been changed in the case of Assam?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not part of the question.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I won't reply to interjections like that. Sir, I am trying to explain that the Foreigners' Act is not different from what it was two or three years before for the Southern States. Please understand that. Even the rules ;have not been changed as far as those States are concerned. That is one thing.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: But, terrorists come from those borders.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, can I reply to a discussion like this? I am ready to ahve a discussion on this, but whenever we have a discussion, I

would request that the hon. Member should be present in the House and make his points and remain in the House to hear my reply also, otherwise...(*Interruptions*). I am trying to say that some organisations were identified. Now, there were some groups in some States and we have taken action also, but they are few in numbers. They are not large in numbers.

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, my question to the Home Minister is about the inadequacy of the reply given to part (c). While part (c) explains the measures taken by the Government to deal with the problem as a law and order problem, is the Minister satisfied that these steps, by themselves, will be able to handle the problem of terrorists or will he also accept that something more has to be done to supplement these steps? I would suggest, for example, a programme. Will the hon. Minister accept my suggestion? If so, I will give a four-point programme to match these steps. One, enlist the co-operation of the people who are not involved in terrorist activities. Secondly, give them the benefits of the new Rural Employment Guarantee Scheme and give as many as of them as possible purposeful employment opportunities in these areas. Thirdly, identify some of the present demands of the area and give them loans....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, put the question.

DR. P.C. ALEXANDER: Will the Minister accept these suggestions considering them as important as dealing with the problem on a law and order basis?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am happy to reply to this quesiton, but I would like to say that when I reply to the quesiton, I reply on the basis of facts. As per the law, as per the rules, and very rightly, when we are discussing the policy as such, it cannot be discussed within 10 minutes' time. So, we shall have to discuss these policies. But, the suggestions, which have been given by the hon. Member, are good suggestions and for the benefit of the information of this Houe, I would like to say they are already part of the policies which we have already adopted. We have been saying that to deal with the terrorist activities, one approach is not sufficient. It has to be police action, if necessary. It has to be economic development. It has to be social justice, and, psychologically also, they have to be trained. All these things are part of the police which has been adopted by the Government of India and given to the State Government and State

Governments, on their own, also have evolved certain other things in order to deal with this problem. But, the suggestions,which have been given by the hon. member, are good suggestions. I would like only to say that they are already part of the policy. And, if there is a discussion on the policy adopted by the Government of India, all these things can be very well explained.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Abu Asim Azmi. Please ask a straight question.

श्री अबू आसिम आज़मी: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माननीय जगन्नाथ सेठी की अगुवाई में जुडिशियल कमेटी, जो कि 1997 के भडकल के कम्यूनल दंगों में 17 लोग मारे गए थे,

शरी ابوعاصم اعظمی : آپ سبھاپتی مہودے، میں آپ کے مادھیم سے منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج مانیے جگناتھ سیٹھی کی اگوائی میں جیوڈیشیل کمیٹی، جو کہ ۱۹۹۷ کے بھڑکل کے کمیونل دنگوں میں ۱۷ لوگ مارے گئے تھے.....مداخلت.....

श्री उपसभापति: आज़मी साहब, आप यह इंस्टीटयूट ऑफ साइंस के बारे में क्वैश्चन पूछिए ।

The question should be relevant.

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं सीधा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जस्टिस सेठी की कमेटी ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी थी कि कर्नाटक में आईएसआई का जाल फैल रहा है? यदि दी थी, तो सरकार ने उस पर क्या कुछ कदम उठाया? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिसंबर, 2005 के लास्ट वीक में इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, बंगलौर के कैम्पस में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे? और, क्या यह सच है कि इंटेलीजेन्स से कर्नाटक सरकार को पहले यह रिपोर्ट मिली थी कि वहां ऐसा कुछ हमला होने वाला है? अगर मिली थी, तो उस पर सरकार ने कोई कदम उठाया था या नहीं उठाया था?

शरी ابوعاصم اعظمی : سر، میں سیدھا پرشن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹس سیٹھی کی کمیٹی نے کوئی ایسی رپورٹ دی تھی کہ کرناٹک میں آئی ایس آئی کا جال پھیلا رہا ہے؟ اگر دی تھی، تو سرکار نے اس پر کیا کچھ قدم اٹھایا؟ دوسرا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دسمبر ۲۰۰۵ کے لاسٹ ویک میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس، بنگلور کے کیمپس میں آتنک وادی حملہ ہوا تھا، اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ انٹیلی جینس سے کرناٹک سرکار کو پہلے یہ رپورٹ ملی تھی کہ وہاں ایسا کچھ حملہ ہونے والا ہے؟ اگر ملی تھی، تو اس پر سرکار نے کوئی قدم اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا؟

†Transliteration of Urdu Script.

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन, मैंने पहले ही कह दिया है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका प्रयास यह है कि अलग-अलग जगहों पर वे पहुंचें और वे ऐसी जगहों पर पहुंचना चाहते हैं, जहां पर आई॰टी॰ इंडस्ट्रीज हैं या नेशनल लेबोरेटरीज हैं या ऐसे कुछ इंस्टालेशन्स हैं, जो देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मैंने यह बात पहले ही बता दी है। जहां तक इंस्टीटयूशन का सवाल है, हमारी तरफ से, केन्द्र की तरफ से वहां की सरकारों, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की और कर्नाटक की सरकारों को यह बताया गया था कि ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसी जगहों पर हमला करने के लिए इस प्रकार का प्लान बनाया जा रहा है और उसके लिए सतर्कता बरती जाए। इसी इंस्टीटयूशन, जो साइंस इंस्टीट्यूट है, यहा पर शैक्षणिक चर्चाएं ज्यादातर हुआ करती हैं और जहां शैक्षणिक चर्चाएं होती हैं वहां एक ऐसी साइकोलोजी बनी है कि पुलिस के लोगों का वहां आना अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर यह रूकावट हो जाती है। यह इसके अंदर तकलीफ थी। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, वह रिपोर्ट स्पेसिफिक होने की वजह से उसको देखे बगैर उस पर कुछ कहना दुरूस्त नहीं है, मगर मैं यह कह रहा हूं कि रिपोर्ट में जो बताया गया है, ऐसा वह मानकर चल रहे हैं, इस प्रकार का मेरा भी यहां सदन में कहना है कि उस प्रकार की बात हो रही है, सरकार को मालूम है।

श्री उपसभापति: श्री बसंत चव्हाण। ...(व्यवधान).

श्री जयन्ती लाल बरोट:*

श्री उपसभापति: देखिए। ...(व्यवधान) nothing will go on record. यह नहीं जाएगा। (व्यवधान) ऐसा नहीं है, यह क्वैश्चन आवर है ...(व्यवधान)... प्लीज, यह क्वेश्चन आवर है।

SHRI VASANT CHAVAN: Sir, the hon. Minister has stated in the reply that the Government has recently approved the coastal security scheme to strengthen coastal patrolling and surveillance. Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister as to whether the Maharashtra coastal area and the Konkan coastal area is included in the surveillance and security because Bombay is in the pipeline of supplying arms, ammunition and explosives to south. Also, Maharashtra is fast developing as IT city with many foreign experts coming in and with many new schemes. So, my question is whether the Central Government has included coastal area of Mumbai and Konkan in that.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the reply is 'Yes'. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal and Pondicherry will get the assistance from the Union Government to develop the coastal security. Gujarat is the State which will be getting the largest chunk of money, and, then, Karnataka and Tamil Nadu will be the

States which will be getting huge amounts of money. We have all the details as to how many police stations will be established, how many boats will be given to them, and, what kind of assistance would be given to them. This scheme is funded by the Government of India. For nearly five years, even the petrol expenses will be given. Only the salaries of the policemen who would be posted there will have to be given by the States.

SHRI VASANT CHAVAN: Sir, my quesiton has not been replied. Sir, it is about coastal area of Bombay and Konkan...(*Interruptions*)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: उपसभापति जी, हमारा गुजरात का क्वैश्चन है। ...(व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V PATIL: Sir, I am talking about the coastal areas of ...(*Interruptions*)... I am talking about Gujarat and Maharashtra...(*Interruptions*)

श्री जयन्ती लाल बरोट: उपसभापति जी, गुजरात के... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: यह क्या बात है? यह क्वैश्चन आवर हैं। गुजरात का कहां से आया? ...(व्यवधान) बरोट जी, यह क्या बात है? क्वेश्चन ऑवर में गुजरात कहां से आ गया? यह क्वेश्चन ऑवर है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं? क्वेश्वन ऑवर में क्या चाहते हैं आप? आपको जब आइडेंटिफाई किया जाएगा, आप उसी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कुछ सकतें। बैठ जाइए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से अपने सवाल के 'क' भाग के रूप में इस सवाल का जो उत्तर आया है, उस बारे में और 'ख' भाग के रूप में जो इन्होंने बार-बार कहा कि वहां के निदेशक या साइंटिस्ट अपने कैम्पस में पुलिस को नहीं देखना चाहते, इसके बारे में पूछना चाहूंगा।

महोदय, क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को इस इंटरनेशनल कांफ्रेंस में विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं, इसके बारे में सूचना थी और उस पर अटैक होगा, क्या इसकी भी कोई सूचना थी? अगर थी तो प्लेन क्लॉथ्ज़ में वहां पर सिक्युरिटी गार्ड्स, एन॰एस॰जी॰ के जवानों या कमांडोज़ को क्यों नहीं भेजा गया? महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब जो हिन्दी में आया है, यह बहुत अपमानजनक है। गृह मंत्री महोदय राष्ट्रभाषा के असली मालिक भी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र में चलती है और अगर आप देखें तो इस जवाब की प्रतिलिपि पढ़ी नही जा सकती। सवाल के जवाब का जो एक चौथाई हिस्सा है,वह कट गया है, कटा हुआ है। यह राष्ट्रभाषा का घोर अपमान है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसका संज्ञान लेगा, मंत्री महोदय भी इसका संज्ञान लेंगे।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को, एक प्रान्त की नहीं बल्कि अनेक प्रान्तों की सरकारों को, यह पहले ही बताया गया कि ये लोग, जो हादसे करना चाहते हैं, वहां पर पहुंचना चाहते हैं और किसको अटैक करना चाहते हैं। आई॰टी॰ इंडस्ट्री है, नेशनल लैबोरेट्रीज हैं, दूसरे जो इंस्टालेशंस हैं, उन पर करना चाहते हैं, यह उनको बताया गया था। यहां पर जो इंटेलिजेंस आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में लाना जरूरी है। जो प्लान है, उसका इंटेलिजेंस हमारे पास था, कह दिया, मगर किस जगह पर हो रहा है, कब होने वाला है, जिसको हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं, वह हमेशा के लिए हमें प्राप्त होता ही है, ऐसा नहीं है। जब प्राप्त होता है तो देते हैं और उनको रोकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर, ये जो हादसे करने वाले लोग होते है, उनकी ताकत इसी में है कि किस समय यह करना है और कहां पर करना है, वे अपने तरीके से तय करके करते हैं और इसी में मुश्किल हो जाती है। यहां पर जो लाग आने वाले थें, उनको मालूम था कि बाहर के लोग आने वाले हैं और आते रहते हैं, मगर जब साइंस इंस्टिट्यूशंस या यूनिवर्सिटी के लोग कैम्पस में किसी को आने नहीं देना चाहते, वे नहीं चाहते हैं कि लोगों को सब मालूम हो जाए कि यह क्या हो रहा है, पुलिस क्यों है, हमारे ऊपर सी॰आई॰डी॰ वाले क्या कर रहे हैं, यह न हो, इसलिए यह सब होता है।

दूसरा जो भाग है इस सवाल का, सर, इस सवाल में नमक-मिर्च डालकर उसको ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए बनाया गया है, अगर उसमें कुछ गलती होगी तो हम दुरूस्त कर देंगे। अगर सवाल नहीं भी है तो आप पूछ सकते हैं, हमको मालूम है, यह हम मानकर चलेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question, Shrimati N.P. Durga. (*Interruptions*)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, देखिए। ...(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 143. ..(*Interruptions*)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मंत्री महोदय, इस तरह से अपमान करते हैं राष्ट्रभाषा का? ...(**व्यवधान**)... राष्ट्रभाषा का अपमान कर रहे हैं, वे नहीं मान रहे, टोंट करते हैं ऊपर से। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: 143। आप जवाब दीजिए 143 का।

श्री अमर सिंह: हिन्दी का अपमान गलत है। हिन्दी का अपमान इस देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(**व्यवधान**)... राष्ट्रभाषा का अपमान ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, यह उत्तर है, यह हिन्दी में दिया हुआ उत्तर है और ये लाग कह रहे हैं कि हिन्दी का अपमान किया गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, that question is over. We can (*Interruptions*). आप बताइए, we will take action. ...(*Interruptions*).

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You are exposing your weakness. (*Interruptions*).

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप इस जवाब को पढ़िए, आप इसे पढ़कर बताइए। ...(व्यवधान)... इसका आधा भाग कटा हुआ है।

श्री उपसभापति: वे ऐग्ज़ामिन करेंगे।

श्री अमर सिंह: यह हिन्दी का अपमान है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आप तो हिन्दी के संरक्षक है। और संरक्षक होकर ...(व्यवधान)...

डा॰ कुमकुम राय: सर, एक महिला मैम्बर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ी है, महिला मैम्बर को सवाल पूछने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, अगर गलती हुई है तो उसको सुधारेंगे, देखेंगे। वे देखेंगे। क्वेश्चन नं॰ 143।

Strength of Women Police

* 143. SHRIMATI N.P. DURGA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the strength of women police in the country is not even 2.5 per cent of the total strength of the men police;

(b) whether it is also a fact that women police in Andhra Pradesh is less than the national average of 2.5 per cent when compared to male police; and

(c) if so, what positive measures are being taken by Government for gender sensitization, including recruitment of women in the State police services?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.